NEERAJ®

Serving Education for Last 40 Years

# M.R.D.E. - 101

# ग्रामीण सामाजिक विकास

## ( Rural Social Development )

**Chapter Wise Reference Book**
**Including Many Solved Sample Papers**

*Based on*

# I.G.N.O.U.

**& Various Central, State & Other Open Universities**

By: *Manohar Lal 'Ratnam'*

**NEERAJ PUBLICATIONS**
(Publishers of Educational Books)
Retail Sales Office:
1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878
E-mail : info@neerajbooks.com Website : www.neerajbooks.com

MRP ₹ 320/-

Published by:

**NEERAJ PUBLICATIONS**

*(Publishers of Educational Books)*

Retail Sales Office: 1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878

E-mail : info@neerajbooks.com Website : www.neerajbooks.com

**© Copyright Reserved with the Publishers only.**

***Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only***

Typesetting by: Competent Computers, Printed at: Novelty Printing Press

*Disclaimer/T&C*

1. *For the best & up-to-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.*
2. *This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board/University.*
3. *These books are prepared by the author for the help, guidance and reference of the student to get an idea of how he/she can study easily in a short time duration. Content matter & Sample answers given in this Book may be Seen as the Guide/Reference Material only. Neither the publisher nor the author or seller will be responsible for any damage or loss due to any mistake, error or discrepancy as we do not claim the Accuracy of these Solutions/Answers. Any Omission or Error is highly regretted though every care has been taken while preparing, printing, composing and proofreading of these Books. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading, etc., are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to the publishers notice which shall be taken care of in the next edition and thereafter as a good gesture by our company he/she would be provided the rectified Book free of cost. Please consult your Teacher/Tutor or refer to the prescribed & recommended study material of the university/board/institute/ Govt. of India Publication or notification if you have any doubts or confusions regarding any information, data, concept, results, etc. before you appear in the exam or Prepare your Assignments before submitting to the University/Board/Institute.*
4. *In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.*
5. *The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.*
6. *Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book on any Website, Web Portals, any Social Media Platforms – Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn etc. and also on any Online Shopping Sites, like – Amazon, Flipkart, eBay, Snapdeal, Meesho, Kindle, etc., is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity of any NEERAJ BOOK in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book format by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.*
7. *The User agrees Not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit for any commercial purposes, any portion of these Books without the written permission of the publisher. This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.*
8. *All material prewritten or custom written is intended for the sole purpose of research and exemplary purposes only. We encourage you to use our material as a research and study aid only. Plagiarism is a crime, and we condone such behaviour. Please use our material responsibly.*
9. *All matters, terms & disputes are subject to Delhi Jurisdiction only.*

**Get books by Post & Pay Cash on Delivery :**

If you want to Buy NEERAJ BOOKS by post then please order your complete requirement at our Website www.neerajbooks.com where you can select your Required NEERAJ BOOKS after seeing the Details of the Course, Subject, Printed Price & the Cover-pages (Title) of NEERAJ BOOKS.

While placing your Order at our Website www.neerajbooks.com You may also avail the "Special Discount Schemes" being offered at our Official website www.neerajbooks.com.

No need to pay in advance as you may pay "Cash on Delivery" (All The Payment including the Price of the Book & the Postal Charges, etc.) are to be Paid to the Delivery Person at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us. We usually dispatch the books Nearly within 2-3 days after we receive your order and it takes Nearly 3-4 days in the postal service to reach your Destination (In total it take nearly 6-7 days).

## Content

# ग्रामीण सामाजिक विकास

## ( Rural Social Development )

*Question Bank – (Previous Year Solved Question Papers)*


Question Paper—June-2023 (Solved) ........ 1-2
Question Paper—December-2022 (Solved) ........ 1-3
Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved) ........ 1-2
Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved) ........ 1-2
Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved) ........ 1-3
Question Paper—June, 2019 ( Solved ) ........ 1-3
Question Paper—December, 2018 ( Solved ) ........ 1-2
Question Paper—June, 2018 ( Solved ) ........ 1-2
Question Paper—December, 2017 ( Solved ) ........ 1-2
Question Paper—June, 2017 ( Solved ) ........ 1-2


| *S.No.* | *Chapterwise Reference Book* | *Page* |
|---|---|---|

### ग्रामीण महिलाओं का विकास ( Development of Rural Women )


1. ग्रामीण महिलाएँ : प्रस्थिति एवं विकास योजनाएँ ........ 1
( Rural Women: Status and Development Strategies )
2. ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा व प्रशिक्षण ........ 10
( Education and Training of Rural Women )
3. ग्रामीण महिलाओं का स्वास्थ्य व पोषण ........ 19
( Health and Nutrition of Rural Women )
4. ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण (लैंगिक ढाँचागत दृष्टिकोण) ........ 27
( Empowerment of Rural Women [Gender Framework Approach] )
5. ग्रामीण महिला सशक्तिकरण नीतियाँ व कार्यक्रम ........ 39
( Empowerment of Rural Women Policies and Programmes )

| S.No. | Chapterwise Reference Book | Page |
|---|---|---|

## ग्रामीण बाल विकास ( Development of Rural Children )


6. ग्रामीण बच्चों की स्थिति ( Situation of Rural Children ) ........ 50
7. ग्रामीण बच्चों का स्वास्थ्य तथा पोषण ( Health and Nutrition of Rural Children ) ........ 59
8. ग्रामीण बच्चों की शिक्षा ( Education of Rural Children ) ........ 66
9. समेकित बाल विकास सेवा योजना ........ 74
( Integrated Child Development Service Programme )


## अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य सुविधा वंचित समूह का विकास ( Development of SCs, STs and OBCs Groups )


10. अनुसूचित जातियों का विकास ( Development of Schedule Castes ) ........ 84
11. अनुसूचित जनजातियों का विकास ( Development of Scheduled Tribes ) ........ 93
12. बंधुआ मजदूर ( Bonded Labour ) ........ 113
13. कारीगरों एवं भूमिहीन श्रमिकों का विकास ........ 127
( Development of Artisans and Landless Labourers )


## बच्चों, महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सामाजिक विधान और नीतियाँ ( Policies and Social Lagislations on Children, Women and SC/ST )


14. बाल संबंधी सामाजिक विधान ( Social Legislation for Children ) ........ 140
15. महिलाओं से संबंधित सामाजिक विधान (Social Legislature on Women ) ........ 150
16. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक विधान (कानून) ........ 165
( Social Legislation on Schedule Castes and Scheduled Tribes )
17. सुविधावंचित समूहों के लिए सामाजिक विधान (कानून) ........ 171
( Social Legislations on Disadvantaged )
18. अन्य सामाजिक विधान (कानून) ( Other Social Legislations ) ........ 178

# Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

*Published by:*

NEERAJ PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

# QUESTION PAPER

*June – 2023*

*(Solved)*

## ग्रामीण सामाजिक विकास
**(Rural Social Development)**

M.R.D.E.-101

*समय : 3 घण्टे ]* *[ अधिकतम अंक : 100*

*नोट : **सभी पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक **समान** हैं।*

**प्रश्न 1. ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक और राजनीतिक प्रस्थिति पर चर्चा कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-1, पृष्ठ-2, 'सामाजिक प्रस्थिति', पृष्ठ-4, 'राजनीतिक प्रस्थिति'

**अथवा**

**अनुसूचित जनजातियों की प्रमुख स्थायी समस्याओं की जाँच कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-11, पृष्ठ-111, प्रश्न 6 तथा पृष्ठ-100, 'अनिर्णीत मुद्दे एवं अनसुलझी समस्याएं'

**प्रश्न 2. ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों की चर्चा कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-5, पृष्ठ-41, 'आर्थिक सशक्तिकरण संबंधी कार्यक्रम'

**अथवा**

**ग्रामीण कारीगरों और भूमिहीन मजदूरों के लिए विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-13, पृष्ठ-132, 'रोजगार सृजन कार्यक्रम'

**प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए–**

**(क) बंधुआ मजदूरों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता लगाइए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-12, पृष्ठ-113, 'ऐतिहासिक पृष्ठभूमि'

**(ख) ग्रामीण बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की भूमिका का परीक्षण कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-8, पृष्ठ-67, 'अनौपचारिक शिक्षा'

**यह भी देखें–**अनौपचारिक शिक्षा कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक अवसर जुटाती है। नम्नीयता अनौपचारिक शिक्षा की कुंजी है। इस शिक्षा में खुलापन होता है। दाखिले, पाठ्यक्रम, शैक्षिक स्थल, शिक्षा प्रणाली, प्रशिक्षण का समय और अवधि किसी पर भी रोक नहीं होती। इन्हें परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। अनौपचारिक शिक्षा के कुछ उदाहरण हैं–खुले विद्यालय, खुले विश्वविद्यालय, खुला अधिगम और पत्राचार पाठ्यक्रम इत्यादि।

**(ग) सफाई कर्मचारी अधिनियम, 1993 के लिए राष्ट्रीय आयोग की विशेष विशेषताओं का वर्णन कीजिए।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-16, पृष्ठ-166, 'सफाईकर्मी एवं शुष्क शौचालय निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम 1993'

**प्रश्न 4. निम्नलिखित में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए–**

**(क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-12, पृष्ठ-117, 'राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग'

**(ख) खादी और ग्रामोद्योग**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-13, पृष्ठ-127, 'खादी और ग्रामोद्योग'

**(ग) अनुसूचित जनजाति की अवधारणा**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-11, पृष्ठ-94, 'अनुसूचित जनजातियां एवं सांविधानिक अवधारणा'

**(घ) महिला बंधुआ मजदूरी**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-12, पृष्ठ-115, 'बंधुआ महिला मजदूर'

**(ङ) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1986**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-15, पृष्ठ-152, 'अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1986'

**(च) विवाह का हिन्दू कानून।**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-15, पृष्ठ-153, 'हिंदू विवाह विधि'

**प्रश्न 5. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–**

**(क) चिनारा अंगाला**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-8, पृष्ठ-68, 'चिन्नारा अंगाला (बच्चों का आंगन)'

**(ख) शिक्षाकर्मी परियोजना**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-2, पृष्ठ-15, प्रश्न-1 '(4) शिक्षाकर्मी परियोजना'

**( ग ) लोक जुम्बिश प्रोग्राम**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-2, पृष्ठ-15, प्रश्न 1, '3. लोक जुंबिश कार्यक्रम'

**( घ ) प्रतिरक्षा**

**उत्तर–**प्रतिरक्षा प्रणाली, संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। विशेष कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक नेटवर्क जो शरीर को 'नुकसान पहुंचाने वालों' की एक किस्म या रोगाणुओं से बचाने के लिए एक साथ काम करता है। इन रोगाणुओं या कीटाणुओं में जीवाणु, परजीवी, विषाणु और फफूंदी शामिल हैं। ज्यादातर मामलों में शरीर हानिकारक हमलों से खुद का बचाव कर सकता है। कुछ लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी कमजोर होती है कि रोगाणुओं से भी नहीं लड़ सकती।

प्रतिरक्षा प्रणाली में रक्षा की पहली पंक्ति एक ऐसी ढाल है, जो रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। त्वचा शरीर का मुख्य कवच है, जो हमले के खिलाफ एक शारीरिक बाधा के रूप में काम करती है। श्वसन तंत्र और पाचन (श्लेष्मा झिल्ली) की ऊपरी परतें भी हानिकारक रोगाणुओं को अंदर आने से रोकती हैं।

**( ङ ) वंश**

**उत्तर–**जनजातीय सामाजिक जीवन और संगठन का एक महत्त्वपूर्ण आधार वंश-समूह होता है। हॉबल के अनुसार, "वंश-समूह साधारणतः पाँच या छः पीढ़ियों से अधिक पहले का एक परिचित संस्थापक या सामान्य पूर्वज के उत्तराधिकारियों का एक विस्तृत और एकपक्षीय रक्त-सम्बन्धित समूह है। वह (पूर्वज) एक काल्पनिक या पौराणिक व्यक्ति नहीं बल्कि एक वास्तविक पुरुष है।" डॉ. मुखर्जी (Mukherjee) के शब्दों में, ''वंश-समूह एक सामान्य ऐतिहासिक और वास्तविक पूर्वज से सम्बन्धित समस्त रक्त-सम्बन्धी वंशजों का एक समूह होता है। वंश-समूह दो प्रकार का हो सकता है–(अ) मातृवंशीय वंश-समूह (Matrilineal lineage), और (ब) पितृवंशीय वंश-समूह (Patrilineal lineage)।''

मातृवंशीय वंश-समूह के अन्तर्गत स्त्री, उसकी बहनें और उनके बच्चे आते हैं, भाई या उसके बच्चे वंश के बाहर चले जाते हैं। इसके विपरीत पितृवंशीय वंश-समूह के अन्तर्गत पुरुष उसके भाई और उनकी सन्तानें ही आती हैं, इसमें बहन या उनके बच्चे वंश के बाहर चले जाते हैं।

गोत्र वंश का ही एक विस्तृत रूप होता है। माता या पिता के किसी वंश के सभी रक्त-सम्बन्धियों को अगर जोड़ा जाये और अगर इस प्रकार के वंश-समूह में एक ही पूर्वज (वास्तविक या काल्पनिक) की सभी सन्तानें सम्मिलित कर दी जाएँ, तो उसे गोत्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में कई वंश मिलकर एक गोत्र बनता है। गोत्र का प्रारम्भ परिवार के किसी प्रमुख पूर्वज से होता है। पूर्वज को प्रमुख और प्रतिष्ठित होने के कारण उस परिवार का प्रवर्तक या संस्थापक मान लिया जाता है। इसी कारण उसी के नाम से परिवार के सब वंशजों का परिचय दिया जाता है और सब मिलकर एक गोत्र कहलाते हैं। ये वंशज या तो मातृवंशीय वंश-समूहों के होते हैं या पितृवंशीय वंश-समूहों के। गोत्र सदैव एकपक्षीय (unilateral) होता है। दूसरे शब्दों में, माता और पिता दोनों पक्ष के वंश-समूहों को मिलाकर गोत्र का निर्माण कभी नहीं होता।

**( च ) स्थानान्तरण की खेती**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-11, पृष्ठ-105, प्रश्न 4

**( छ ) दहेज प्रथा**

**उत्तर–संदर्भ–**देखें अध्याय-15, पृष्ठ-152, 'दहेज अपराध संबंधी कानून', 'दहेज का अर्थ'

**( ज ) बाल विवाह**

**उत्तर–**भारत के कुछ राज्यों में बालक-बालिकाओं का कम आयु मे विवाह कर दिया जाता है। इस व्यवहार को समाप्त करने लिए बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 पारित किया गया है। इसकी विशेषतायें निम्नलिखित हैं–

प्रारम्भ में लड़के के विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गयी। 1949 के संशोधन द्वारा लड़कियों के विवाह की उम्र 15 वर्ष कर दी। आगे चलकर बढ़ती जनसंख्या, बाल एवं मातृ स्वास्थ्य आदि पर विचार किया गया। इसमें 25 अगस्त, 1976 को लोकसभा में विधेयक रखा गया, परन्तु 1977 में लोक सभा भंग हो गयी। बाद में 1 अक्तूबर, 1978 इसे पुनः पेश किया गया और पारित किया गया। इसके अनुसार लड़कों के शादी की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष तय की गयी। इसके उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान है।

■■

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

Sample Preview
of
The Chapter

*Published by:*

NEERAJ
PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

# ग्रामीण सामाजिक विकास
# ( Rural Social Development )

**ग्रामीण महिलाओं का विकास**
**( Development of Rural Women )**

## ग्रामीण महिलाएँ : प्रस्थिति एवं विकास योजनाएँ
## ( Rural Women: Status and Development Strategies )

1

### परिचय

21वीं शताब्दी के शुरू होते ही मानव विकास के अनेंक क्षेत्रों में वृहद् पैमाने पर परिवर्तन आया है। इस तरह सही मायने में सरकार, महिला आन्दोलन और विभिन्न स्तरों पर लोगों के सामूहिक और अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप महिलायें समाज के एक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आयी हैं। गाँवों में उसका सक्रिय और चेष्टापूर्ण प्रयास है। इस महिला ताकत को कुशल नेतृत्व के रूप में प्रयोग किया जाये तो निश्चित रूप से देश में महिलाओं के विभिन्न पक्षों में प्रभावी परिवर्तन आ सकता है। महिलाओं के शिक्षा स्तर में तीव्रता से वृद्धि हुई है। 1971 की शिक्षा दर 22% बढ़कर 2001 में 54% हो गयी यह महिला समूह में बदलाव का एक महत्त्वपूर्ण संकेत है। महिलाओं की प्रस्थिति एक अन्य महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में पंचायती राज संस्थाओं में उन्हें मतदान और उम्मीदवार होने का अधिकार मिला है। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के फलस्वरूप इन संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। आदिवासी और अल्पसंख्यक महिलायें सक्रिय होकर संगठित हो रही हैं। इस दिशा में ईसाई, मुस्लिम और आदिवासी महिलाओं के भी प्रयास जारी हैं।

महिलाओं के सम्बन्ध में कुछ नकारात्मक संकेत भी हैं जो उनके उत्साह को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक महिलाओं के प्रति हिंसा है– जो एक देश के सामने बड़ी चुनौती है। इसके साथ देश की जनसंख्या का भी स्वरूप बदल रहा है। बालिकाओं की संख्या घटने से लिंग अनुपात बिगड़ गया है। अभी भी महिलाओं के लिए रोजगार की कमी है।

राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2000 और कुछ अन्य शोध अध्ययनों के द्वारा महिलाओं सम्बन्धी ध्यान देने योग्य अनेक मुद्दे सामने आये हैं जो निम्नलिखित हैं–

*(i)* महिलाओं के पास राजनीतिक भागीदारी का अभाव, *(ii)* समूहों में संगठन का अभाव, *(iii)* ऋण तथा संसाधनों तक पहुँच का अभाव् *(iv)* व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव, *(v)* कुपोषण, *(vi)* जल, ईंधन, चारे का अभाव, *(vii)* चिकित्सा सेवाओं एवं यातायात का अभाव, *(viii)* विषम स्थितियों में सामाजिक सहयोग एवं मदद का अभाव।

महिलाओं की प्रस्थिति में परिवर्तन उस समय अच्छा माना जायेगा जब यह संवैधानिक निर्देशों के अनुकूल हो और स्त्री-पुरुष के कार्यों में समानता हो। महिला की प्रस्थिति व्यक्ति, समुदाय और वर्ग विशेष की सामाजिक व्यवस्था में अलग से पहचान, रखती हो। महिलाओं की प्रस्थिति संबंधी समिति ने स्थिति में निम्न तत्वों को सम्मिलित किया था-*(i)* वैधानिक वदिता क्रम में स्थान, *(ii)* वित्तीय स्थिति, *(iii)* स्वतंत्र कार्य, *(iv)* शैक्षणिक पृष्ठभूमि, *(v)* राजनीतिक भागीदारी।

ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति का आकलन करने के लिए दो आधारों–गुणात्मक और मात्रात्मक अपनाया जा सकता है। गुणात्मक अन्तर्गत-जन्म और मृत्युदर, लिंग अनुपात, राजनीति एवं राजनीतिक भागीदार आदि आते हैं, जबकि मात्रात्मक में सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं संबंधी भेदभाव के आँकड़े आते हैं।

### अध्याय का विहंगावलोकन

#### सामाजिक-जनांकिकीय प्रस्थिति

महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण, समाज के व्यवहार आदि का अध्ययन करना आवश्यक है।

**समाज का महिला के प्रति दृष्टिकोण**

महिलायें निर्णय लेने में स्वतंत्र नही हैं। वे अपने कपड़े और विधवा समाज के रीतिरिवाजों के अनुसार चलती हैं। पर्दाप्रथा के कारण वे पुरुष की भूमिकाओं में भाग नही ले सकतीं। महिलाओं के अधिकार, भूमिका, व्यवहार का निर्धारण विभिन्न समाज तथा समुदाय अपने देश के अनुसार करता है।

महिलायें जन्म से मृत्यु तक समाज की परम्पराओं व धर्म के अनुसार चलती हैं। इसमें स्थिरता नहीं है और सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। महिलाओं के लिए विवाह एवं मातृत्व आज भी महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

www.neerajbooks.com



महिलाओं पर धार्मिक ग्रंथों द्वारा भी प्रतिबंध लगाया है। उसे सामूहिक पूजा करने का अधिकार नहीं हैं। उसके विरूद्ध अनेक प्रकार की हिंसा व अत्याचार जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं पर किया जाता है। उसे कई अधिकारों से वंचित किया गया है।

पिछले एक-दो दशकों में महिलाओं के विकास के लिए सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों से अनेक नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं का निर्माण किया गया है। इससे महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार हुआ है। यह प्राप्त हुए महत्त्वपूर्ण आंकड़ों से प्रमाणित है।

**महत्त्वपूर्ण आंकड़े**

2001 के जनगणना के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या की 48.3% है। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए उनके विकास के प्रत्येक स्तर को ध्यान देना आवश्यक है। इस दृष्टि से महिलाओं की आबादी को पांच विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है–

- 0-14 वर्ष की आयुवर्ग की लड़कियां जिनकी जनसंख्या 34.6% है और इनके साथ सर्वाधिक लिंग भेद किया जाता है, इसलिए इन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।
- 15-19 वर्ष की किशोर लड़कियों के समूह की जनसंख्या 52.14% है। योजना निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।
- 15-44 वर्ष का आयु वर्ग समूह प्रचनावस्था का होता है और जिसकी आबादी 47.1% है, पर देखभाल की जरूरत पड़ती है।
- 15-59 वर्ष की आयु वर्ग समूह की महिलायें 58.4% है। इसकी आवश्यकतायें शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और भागीदारी आदि है।
- 60 से अधिक वर्ष का आयु वर्ग समूह 7% है जिसकी जरूरतें स्वास्थ्य, वित्तीय, सहयोग आदि होती है।

यह सर्वथा सही है कि महिलाओं की उम्र पुरुषों से अधिक होती है, परन्तु लिंग अनुपात प्रायः घटता रहता है। कभी-कभी नाममात्र बढ़ भी जाता है। 1971 में 1000 पुरुषों पर 930 महिलायें जो 1991 में घटकर 92.7 एवं 2001 में बढ़कर 933 हो गयी।

परिवार नियोजन के प्रति महिलाओं की जागरूकता बढ़ी है और महिलायें इसके उपलब्ध साधनों का प्रयोग कर रही हैं। इसी कारण प्रजनन दर में कमी हो रही है। 1998 में ग्रामीण क्षेत्रों प्रजनन दर 3.5 तथा शहरी क्षेत्रों में 3.2 थी।

यद्यपि देश की कुल महिला जनसंख्या में नाममात्र की बढ़त हुई है, परन्तु अब यह पुरुषों की अपेक्षा कम है। महिलाओं की जनसंख्या की वृद्धि 0.2 प्रतिशत ही थी परन्तु संख्या की दृष्टि से यह 11.5 मिलियन थी।

विचारणीय समस्या यह है कि 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चियों की संख्या तेजी से कम हो रही है। 1991 में लिंग अनुपात जहाँ 945 था, वह 2001 में घटकर 927 रह गया। वस्तुतः इसका कारण महिलाओं में पोषण का अभाव, कन्या भ्रूण हत्या और जन्म के साथ लड़कियों की हत्या है।

महिलाओं के जीवित रहने की उम्र जन्म के बाद बढ़ रही है। 1981 में यह उम्र 55.7 वर्ष थी जो 2001 में बढ़कर 65.3 वर्ष हो गई।

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**

अच्छा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-बच्चे, महिला एवं पूरे परिवार के लिए लाभकारी होता है। प्रजनन क्षमता के कारण स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक बीमार होती हैं। बच्चों की मृत्यु दर कम होने से महिलाओं को कम गर्भ-धारण करना पड़ता है। भारतीय समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव जन्म से ही किया जाता है, इसलिए 0-4 साल के बीच मरने वाले बच्चों में लड़कों की मृत्यु दर 21.1 थी जबकि लड़कियों की इससे ज्यादा 24.4 थी।

लड़कियों के जन्म दर और मृत्यु दर में कमी आई है। 1981 से 1999 के मध्य इससें 3.8 अंक की कमी आई। लड़कियों की औसत आयु में भी वृद्धि हुई है। यह भी सही है कि बाल-विवाह निषेध अधिनियम 1976 के कारण बाल-विवाह और कम उम्र होने वाले विवाहों में कमी आई है। फलस्वरूप छोटी उम्र में गर्भ-धारण करना और अपरिपक्व बच्चों का पैदा होना कम हुआ है।

1998-99 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-2) के अनुसार किशोरावस्था में ब्याही 1.9% लड़कियों में खून की अधिक कमी और 45.9% में खून की सामान्य कमी देखी गई। वस्तुतः इसके प्रति सावधान होना जरूरी है अन्यथा जच्चा-बच्चा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसी सर्वेक्षण के अनुसार 15-49 आयु वर्ग की 51.8% महिलायें कुपोषण के कारण खून की कमी की शिकार होती हैं। खून की कमी से प्रसव के समय अधिक कष्ट होता है।

यद्यपि मातृ-मृत्यु-दर में कमी आयी है परन्तु अब भी यह अधिक है। 1980 में 468 से घटकर 1990 में यह 467 हो गयी। ऊंची मृत्यु दर के कारण–रक्ताल्पता, सेप्टिक, गर्भपात आदि हैं।

समाज में खाने-पीने में स्त्री और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है। लड़कियों के कुपोषण का यह मुख्य कारण है। यहाँ तक कि माँ स्वयं बेटा और बेटी के पोषण में अन्तर करती है। लड़के को अच्छा खाना मिलता है परन्तु लड़की उपेक्षित रहती है। बच्ची के बड़े होने पर भी यह भेदभाव किया जाता है। यह भेदभाव दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में अधिक मिलता है। इसलिए महिलाओं का शारीरिक विकास ठीक नहीं होता। चिकित्सा में भी भेदभाव किया जाता है। स्त्री चिकित्सा की अपेक्षा की जाती है।

**मातृ मृत्यु**

भारत में विश्व के सभी देशों की अपेक्षा मातृ-मृत्यु अधिक है। वस्तुतः इसका मुख्य कारण गर्भावस्था में उचित इलाज न कराना है। राष्ट्रीय आकड़े के अनुसार 40-50% महिलाओं की ही चिकित्सा की जाती है। अधिकांश महिलाओं की चिकित्सा घरेलू नुस्खों द्वारा करने का प्रयास किया जाता है। चिकित्सा कराने में महिला परिवार की आज्ञा का पालन करती है। एक अनुमान के अनुसार 15-29 साल आयु वर्ग की महिलाओं की मृत्यु गर्भावस्था सम्बन्धी रोगों के कारण होती है।

## सामाजिक प्रस्थिति

समाज में स्त्री की स्थिति शोचनीय है। मानव अधिकारों का हनन करके उसकी हिंसा की जा रही है। यह समस्या भीषण रूप धारण करती जा रही है। इसका विरोध, पुरजोर विरोध नहीं होता है। पुरुष द्वारा पीटा जाना महिलायें उसका अधिकार मानती हैं। वस्तुतः

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com



इसका कारण स्त्री को पुरुष से निम्न माना जाता है। उसकी दुर्दशा घर के बाहर और उससे अधिक घरों में होती है। महिला से छेड़छाड़, बलात्कार यौन शोषण और दहेज के कारण प्रताड़ित करना सामान्य बात हो गयी है। बलात्कार के कुल दर्ज मामलों में एक चौथाई बलात्कार 16 वर्ष के आस-पास की लड़कियों के होते हैं। इसकी पुलिस रिपोर्ट बहुत कम होती है और 95% बलात्कारी आरोप से मुक्त हो जाते हैं।

**समाज में महिलाओं का दोयम दर्जा**

समाज में महिलाओं की प्रस्थिति दोयम दर्जे की है अर्थात यह हमेशा पुरुष से नीचे होती है। भारतीय समाज विशेष रूप से उत्तरी भारत के हिन्दू परिवार में उनकी स्थिति अत्यन्त खराब है। यह समाज पुरुष प्रधान समाज होता है। विवाह परम्परा में महिला की अपनी राय नहीं होती। उसका पिता उसके पति के पिता में निम्न माना जाता है, इसलिए उसे दहेज देना पड़ता है। दुल्हन के ससुराल आते ही उस पर बूढ़ी महिलाओं का नियंत्रण हो जाता है। पति से उसे कम संबंध रखने की हिदायत दी जाती है, ताकि उसका भावनात्मक संबंध पति से अधिक न हो। नवविवाहिता से आशा की जाती है वह शीघ्र पुत्रवती हो, जो बड़े बूढ़ों को सहारा दे सके और वंश की वृद्धि कर सके।

विवाह की प्रथा दक्षिण भारत में कुछ भिन्न है। यहाँ लड़की का विवाह माँ के भाई या मामा के बेटे से होता है। इसका प्रभाव अच्छा होता है, क्योंकि लड़की से सभी परिचित होते हैं। फलस्वरूप पुरुष प्रधान का भाव कम हो जाता है। दोनों परिवारों के बीच प्रवाह प्रगाढ़ हो जाता है, परन्तु दक्षिण में यह स्थिति बदल रही है।

**बाल विवाह**

लड़कियों के लिए बाल-विवाह अभिशाप है। इससे उसके शरीर का विकास नहीं होता है। इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये 1976 के कानून में संशोधन किया गया और लड़कियों की शादी की उम्र 15 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। परन्तु गाँवों में अब भी बाल विवाह हो रहा है। 1993 में, राजस्थान में 5000 महिलाओं के सर्वेक्षण से पता चला कि 56% लड़कियों की शादी 15 वर्ष की उम्र से पहले हो गयी थी। इन महिलाओं के चार साल से कम उम्र के 63% बच्चे अत्यन्त कमजोर और कुपोषित थे।

**दहेज प्रथा**

दहेज प्रथा के कारण भारत में प्रतिवर्ष 6 हजार हत्यायें होती हैं। दहेज निरोधक कानून होने के बाद भी यह बढ़ता ही जा रहा है। लड़की के माँ-बाप को लड़की की हत्या के बाद भी न्यायालय आना-जाना पड़ता है।

**उत्तराधिकार**

महिलाओं को उत्तराधिकार से संबंधित बहुत कम अधिकार मिले हैं। 1950 में हिन्दू निजी कानून में संशोधन के द्वारा बहु-विवाह पर प्रतिबन्ध लगाया गया एवं महिलाओं को तलाक और गोद लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। मुस्लिम महिलाओं पर उनका निजी कानून लागू होता है। पैतृक संपति में बेटे का अधिकार तो है परन्तु बेटी का पिता के हिस्से की सम्पत्ति में अधिकार होता है। पिता चाहे उसे वंचित भी कर सकता है। संपत्ति के अधिकार के अभाव में महिला गरीब एवं असुरक्षित होती है।

**साक्षरता एवं शैक्षणिक उपलब्धियाँ**

यद्यपि स्कूल में प्रवेश से लड़के-लड़कियों में अन्तर कम हुआ है, परन्तु सेकेण्डरी तक आते-आते अधिकांश लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं और उनकी संख्या कम होती है। फिर भी लड़कियों की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। 1981 में यह दर जहाँ 29.76% थी, 2001 में बढ़कर 54.16% हो गयी। निरक्षर महिलाओं की संख्या में भी कमी हुई है। महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर से निम्न है। केरल में साक्षरता दर सर्वाधिक 87.86% और बिहार में निम्नतम् 33.57 (2001) है। स्कूलों में लड़कियों के नामांकन की स्थिति में भी सुधार हुआ है। जैसे प्राथमिक स्तर पर 1980-81 के 64.1% की तुलना में 1999-2000 में 85.2% हो गयी। इसी प्रकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 1990-91 के 33% के स्थान पर 1999-2000 में 39.8% हो गयी। स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या में कमी हुई है।

## आर्थिक प्रस्थिति

**महिलाएँ आमतौर पर पुरुषों से दुगुना समय काम कर सकती हैं**—महिलायें पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक काम करती हैं। हिमालय क्षेत्र के एक सर्वे के अनुसार एक हेक्टेयर खेत में प्रतिवर्ष एक बैल 1064 घंटे, पुरुष 1212 घंटे काम करते हैं परन्तु महिलायें 3,485 घंटे काम करती हैं। इसी प्रकार का आंकड़ा आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है जहाँ महिलायें पुरुषों से दुगुना कार्य करती हैं। इतना परिश्रम करने के बाद भी उसके काम को महत्त्व नहीं दिया जाता। उसके पास पैसा नहीं होता और न वह परिवार के पैसे को खर्च कर सकती है और न प्राप्त कर सकती है।

**वस्तुत:** महिलाओं के काम को काम ही नहीं माना जाता। स्वरोजगार में संलग्न महिलायें और असंगठित क्षेत्र में महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ। इसमें समाज कल्याण निर्देशक ने महिलाओं के जंगल से लकड़ी काटने, पशु चराने, खेती करने को काम ही नहीं माना परन्तु यदि गौर से देखा जाय तो ज्ञात होगा कि घरों में रहकर काम करने वाली गाँवों की 88% महिलायें और शहरों की 66% महिलायें आर्थिक दृष्टि से उत्पादक हैं। खेतों, घरों व्यवसाय में सहयोग करने वाली महिलाओं के योगदान का आर्थिक दृष्टि से आकलन न तो पुरुष करते हैं और स्वयं महिलायें भी हैं। इससे होने वाली आय पर पुरुषों का ही अधिकार होता है।

महिलाओं का काम अधिक श्रम वाला एवं उबाऊ होता है। जैसे धान के खेत में पौधे लगाना, खरपतवार, निकालना आदि। यह कार्य उन्हें गर्मी, धूप में करना पड़ता है। पुरुष हल आदि का कार्य सुबह ही कर लेते हैं। पुरुष असल कार्य करता है, इसके लिए उसे उत्पाद माना जाता है। महिलाओं को गैर उत्पादक माना जाता है। उसे पुरुषों की तुलना में मजदूरी भी कम मिलती है।

**तकनीक का महिलाओं पर प्रभाव**

तकनीक का महिलाओं के काम पर बुरा असर पड़ा है। अब विभिन्न कामों को हाथ के स्थान पर मशीनों से किया जा रहा है। मशीनों को चलाने का काम पुरुष कर रहे हैं। साक्षर न होने के कारण महिलायें प्रशिक्षण भी नहीं प्राप्त कर सकतीं। फलस्वरूप वे खेती के काम में अधिक सहयोग नहीं दे पा रही हैं। अब निम्न

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com



श्रेणी काम ही करना पड़ रहा है। फसल की कटाई, छंटाई आदि का काम मशीनें कर रही हैं, जो पहले महिलायें करती थीं। खेत से ही फसलों को बेचने से पैसा पुरुषों के हाथ में चला जाता है। पैदावार घर पर आती तो उसे महिलाएँ भी बेच सकती हैं। ऐसा होने से खेती मजदूर तथा छोटे किसान तथा महिला की स्थिति अधिक खराब हुई है।

## संसाधनों तक महिलाओं को पहुँच में असमानता

संसाधन संबंधी सूचनायें भी महिलाओं तक नहीं पहुँचती। 1991 की विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रशिक्षण का ज्ञान पुरुषों को दिया जाता है और आशा की जाती है कि यह महिलाओं तक पहुँच जायेगा, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। पुरुषप्रधान विस्तार सेवा प्रणाली कृषि क्षेत्र में महिलाओं की अपेक्षा करती रही है। इसके साथ महिलाओं को अत्यावश्यकता के समय ही काम पर लगाया जाता है। जैसे मजदूरों की कमी आदि। गेहूँ, बाजरा की जगह फल, सब्जी और फूल की खेती के कारण महिलाओं के रोजगार में कमी आई है। प्रशिक्षण के लिए वे विभिन्न कारणों से वे बाहर नही जा सकती हैं। वे बाहरी लोगों-अधिकारी आदि से प्रत्यक्ष रूप से बात भी नहीं कर सकतीं, क्योंकि समाज इसे अपमानित कार्य मानता है।

महिलाओं की भागीदारी रोजगार में बहुत सीमित है। उदाहरण के लिए भारत में 2001 में, कार्यबल में, ग्रामीण क्षेत्र में, 30.9% और शहरी क्षेत्र में 11.55% थी। इसके विपरीत पुरुष गाँवों में 52% और शहरों में 50.80% थे। 1999 में संगठित क्षेत्र में उनकी उपस्थिति 17.2% और सार्वजनिक क्षेत्र में मात्र 14.5% थी। इसके अलावा यह भेदभाव रोजगार की मजदूरी या वेतन देने में किया गया है। 1999-2000 पुरुष श्रमिक को महिला श्रमिक की अपेक्षा 25 रुपये अधिक और गाँवों में 15 रुपये अधिक मजदूरी दी जाती है।

2001 में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 1981 के 19.7% से 25.7% कर दिया गया परन्तु अब भी पुरुषों से कम थी। संगठित क्षेत्र में महिलाओं की साझेदारी बढ़ रही है। यह 1981 के 12.2% के मुकाबले 1991 में 17.2% हो गयी है। पुरुषों की भागीदारी कम हुई है परन्तु अब भी महिलाओं से ज्यादा है।

## राजनीतिक प्रस्थिति

महिलाओं की राजनीतिक प्रस्थिति भी बहुत कम रही है। नीति-निर्माण या निर्णय-निर्माण में उनकी भूमिका नगण्य है। 1987 में भारतीय प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा में इसकी उपस्थिति 5.4% थी, जो 2000 में बढ़कर 7.8% हो गयी। राजनीतिक सक्रियता के लिए उनकी भागीदारी को बढ़ाना जरूरी है।

1993 के संविधान के 73वें व 74 वें संशोधन में पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गयीं। फलस्वरूप 4.75 जिला परिषदों में 158 में महिला जिला प्रमुख है। इसी प्रकार ब्लॉकों एवं स्वायत्तशासी निकासों में उनकी संख्या पर्याप्त हो गयी है।

33% सीटों के आरक्षण में स्वायत्तशासी निकायों से उनकी राजनीतिक भागीदारी 4.5% से 25.40% हो गयी। इसके साथ महिलाओं का उद्देश्य डॉ. देवकी जैन के अनुसार पांच लाख गांवों में सामाजिक परिवर्तन लाना था। 33% सीटों के आरक्षण के पश्चात माना गया कि महिलायें पंचायती राज संस्थाओं में स्वर स्टाम्प प्रमाणित होगी, परन्तु यूनीसेफ द्वारा उनकी प्रशंसा से अनेक राज्यों-उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि में उनकी स्थिति सुधार में पर्याप्त सफलता मिली।

वर्तमान में महिलायें पंचायती राज संस्थाओं में अनेक मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही हैं। वे राज्य सरकारों को गरीबी, असमानता और लैगिंग न्याय के प्रति जागरूक कर रही हैं। वे पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं पर घरेलू हिंसा के सम्बन्ध में उचित कदम उठा रही हैं। आंध्र प्रदेश में यूनीसेफ को संचार अधिकारी का मानना है कि इस परिवर्तन के कारण महिलाओं अपने और अपने बच्चों में परिवर्तन लाने के लिए प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य केन्द्रों की मांग कर रही हैं।

महिलायें पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्वयं अनेक परिवर्तन लाई हैं। उसमें आत्मविश्वास, इच्छायें एवं राष्ट्रीय जागृति बढ़ी है। वे महिलाओं की सामूहिक ताकत का अनुभव कर रही है। वे संसाधनों, अधिकारियों एवं पुरुषों पर नियंत्रण पाने में सफल हुई है। इसके साथ पंचायती राज संस्थाओं से पृथक अन्य महिलायें भी जागरूक हुई हैं और अन्याय के विरूद्ध आवाज उठा रही हैं।

पंचायती राज संस्थाओं में काम करने से उनको अपने सामर्थ्य का ज्ञान हो गया। इसके साथ उन्हें अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता का भी अनुभव हुआ। जैसे-शिक्षा एवं प्रशिक्षण। उन्होंने हर बात पर बल दिया कि महिलाओं के मुद्दों को दसवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाय। इसमें प्रमुख मुद्दे गरीबी, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों पर नियंत्रण आदि हैं। इनको ध्यान में रखते दसवीं पंचवर्षीय योजना में निम्न दृष्टिकोण अपनाया गया—महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करना, उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाना एवं शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करना।

## महत्त्वपूर्ण विचारणीय/चिन्ता के क्षेत्र

**कुपोषण**—भारत में अनेक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, क्योंकि उनकी मातायें कुपोषित रहती हैं। मातायें सामान्यतया पति या परिवार के बचे हुए खाने से ही अपना पेट भरती हैं।

**खराब स्वास्थ्य**—महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम चिकित्सीय सुविधा मिलती हैं। कई गर्भवती महिलाओं की प्रसव के समय इसलिए मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उचित इलाज नहीं मिलता।

**शिक्षा का अभाव**—भारत में बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है और शिक्षा के बदले उनसे काम कराया जाता है।

**काम का बोझ**—बिना किसी आर्थिक लाभ के बावजूद महिलाओं को अत्यधिक काम करना पड़ता है।

**अकुशल**—अशिक्षा के साथ महिलाओं को प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता।

**हिंसा**—महिलाओं के बलात्कार, दहेज हत्यायें, कन्याभ्रूण हत्या आदि की घटनाएँ तेजी से बढ़ रही हैं।

**अधिकारहीन**—पुरुष प्रधान समाज में वे निर्णय लेने में असमर्थ हैं। उनकी सम्पत्ति और उत्तराधिकार में कोई हिस्सा नहीं होता।

www.neerajbooks.com